फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 75/24 (प्रा0पत्र) शीर्षक हीरालाल बनाम कमला व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
04.07.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। पत्रावली बाद जांच पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने से इसमें आज ही सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें इस बाबत् मूल वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी संक्षिप्त बहस में बताया कि राजस्व ग्राम जेमाखेडा, पटवार हल्का आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 27 खसरा संख्या 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 248, 249 कुल किता 11 रकबा 5.3900 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जो त्रुटीवश दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से निहित है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थी के दत्तक पिता आसु के नाम दर्ज थी प्रार्थी के दत्तक पिता आसु की मृत्यु हो जाने पर विरासत का जो नामान्तरण संख्या 07 दिनांक 23.07.2021 को खोला गया वह प्रार्थी के बजाय प्रार्थी के दत्तक पिता आसु की जाईन्दा पुत्री कमला के नाम स्वीकृत किया गया जो की गलत व विधि के विपरीत खोला गया। प्रार्थी का उसके दत्तक पिता स्व. आसु के जीवनकाल से ही वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रार्थी का ही चला आया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए मृतक आसु के 1/2 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। प्रार्थी गोदपुत्र की हैसियत से उक्त भूमि का विधिक हकदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है एवं प्रार्थी की भूमि को खूर्द बूर्द करने पर आमादा है जिसे रोका जाना आवश्यक है। यदि प्रार्थी की उक्त भूमि को अप्रार्थीगणों द्वारा खूर्द बूर्द किया जाता है तो प्रार्थी के हक एवं अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अर्थ में किया जाना संभव नहीं होगा। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जेमाखेडा, पटवार हल्का आंजना, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 27 खसरा संख्या 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 248, 249 कुल किता 11 रकबा 5.3900 हैक्टेयर भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 उक्त भूमि को रहन बय, विक्रय, हस्तानान्तरण, अन्तरीत नहीं करे न ही अपने नौकर, चाकर से करावे मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 03 वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुबंध, ईकरानामा, विक्रयपत्र नहीं करे एवं 04 वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता प्रार्थी आदेश 39 नियम 03 की पालना करें। प्रार्थीगण अधिवक्ता हुक्म इम्तदाई के नोटिस मय नकल के पेश करें। पत्रावली दिनांक को 31/07/2024 पेश हो। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द	

23/07/2024

पत्रावली अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री गोवर्धन लाल गुर्जर द्वारा मिसल तलबी का प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब पेश किया। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 को जारी सम्मन बाद तामिल हो, शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जवाब की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली दिनांक 31/07/2024 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

31/07/2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 को जारी सम्मन बाद। अदम तामिल अप्राप्त। इंतजार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अंतिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 01 आसु की एक मात्र जाइन्दा पुत्री है व विधिक वारिसान है। वादग्रस्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा है तथा उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा निहित है एवं नामान्तरण खोला गया जो विधि-सम्मत है। आसु के जीवनकाल में कभी भी हीरालाल को दत्तक पुत्र नहीं रखा है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी को 25 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया गया है तथा समाज के पंचों के समक्ष प्रार्थी को पुत्र की हैसियत से सारे अधिकार प्रदान किये प्रार्थी गोदपुत्र की हैसियत से मृतक आसु की भूमि का नामान्तरण

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 74/2024 शीर्षक हीरालाल बनाम कमला व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.

प्रार्थी के नाम पर नहीं खोला गया तथा गलत नामान्तरण खुलने से प्रार्थी के हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने राजिनामा गोदनामा या ऐसा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी विधिक खातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 रिमोर्डेड खातेदार दर्ज है और ऐसी स्थिति में रिमोर्डेड खातेदार के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दिनांक 04/07/2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक अपील की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09/09/2024 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

09/09/24
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/10/24
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

16/10/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/11/2024
को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 75/2024 शीर्षक हीरालाल बनाम कमला व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	27/11/2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी तलबी हेतु सम्मन पेश करे तो जारी किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18/12/2024 को पेश हो।	
	18/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 की तलबी मूलवाद में हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 को बार-बार आवाजें लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं अतः अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03/01/2025 को पेश हो।	
	03/01/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पश्चात मनन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नियमानुसार जमा की जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द	